



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234620
CG-DL-E-29032022-234620

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

No. 85]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

फा. सं. 4/15/2016-ईसीबी.- एतद्वारा, 28 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में जारी दिनांक 27 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 4/15/2-16-ईसीबी में आंशिक संशोधन करते हुए, "सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) भरने संबंधी अनुदेश " में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है;

I.

(क) एफपीआई आवेदकों के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट (वेबसाइटों) (www.nsdl.co.in) या (www.fpi.nsdl.co.in) पर सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) उपलब्ध रहेगा।

के स्थान पर

(क) एफपीआई आवेदकों के लिए निक्षेपागारों अर्थात् एनएसडीएल (www.nsdl.co.in) या (www.fpi.nsdl.co.in) और सीडीएसएल (www.cdslindia.com) की वेबसाइट (वेबसाइटों) पर सामान्य आवेदन फॉर्म (सीएएफ) उपलब्ध रहेगा।

पढ़ा जाए।

II.

(झ) एक बार जब आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सही प्रकार से फॉर्म भर लिया जाए और एनएसडीएल के इंटर-फेस पर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर दिया जाएँ, तो वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेज़िग्रेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/डीडीपी) के पास चले जाएँगे। उसके बाद, आवेदक को भरे गए फॉर्म का प्रिंट लेना

है। इस प्रकार, प्रिंट किये गए फॉर्म पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे और अपेक्षित मूल दस्तावेजों के साथ उस फॉर्म को कागज़ी रूप में अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डिज़िटल डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/डीडीपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भेजे जाने से पहले, प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

के स्थान पर

(झ) एक बार जब आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सही प्रकार से फॉर्म भर लिया जाए और संबंधित निक्षेपागार के इंटर-फेस पर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर दिया जाएँ, तो वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डिज़िटल डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/डीडीपी) के पास चले जाएँगे। उसके बाद, आवेदक को भरे गए फॉर्म का प्रिंट लेना है। इस प्रकार, प्रिंट किये गए फॉर्म पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे और अपेक्षित मूल दस्तावेजों के साथ उस फॉर्म को कागज़ी रूप में अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डिज़िटल डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट/डीडीपी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भेजे जाने से पहले, प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे।

पढ़ा जाए।

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2022

F. No. 4/15/2016-ECB.—In partial modification of notification No. 4/15/2-16-ECB dated 27th January, 2020 issued in Gazette of India on 28th January, 2020, the following amendments are hereby made in the “INSTRUCTION FOR FILLING COMMON APPLICATION FORM (CAF)” as follows ;

I. In place of

(a) Common Application Form (CAF) will be available for the FPI applicants on the website(s) of NSDL (www.nsdl.co.in) or (www.fpi.nsdl.co.in)

may be read as

(a) Common Application Form (CAF) will be available for the FPI applicants on the website(s) of the Depositories viz. NSDL (www.nsdl.co.in) or (www.fpi.nsdl.co.in) and CDSL (www.cdslindia.com)

II. In place of

(i) Once the form is duly filled in by the applicant in electronic mode and supporting documents uploaded on the inter-face of NSDL, the same shall flow to the Designated Depository Participant (DDP) in electronic manner. The applicant shall thereafter have to take a print of the duly filled form. The duly filled printed form should be signed by applicant and be submitted in physical mode along with requisite documents in original to the Designated Depository Participant (DDP). Applicant should sign on each page of the Form before sending.

may be read as

(i) Once the form is duly filled in by the applicant in electronic mode and supporting documents uploaded on the inter-face of the respective Depository, the same shall flow to the Designated Depository Participant (DDP) in electronic manner. The applicant shall thereafter have to take a print of the duly filled form. The duly filled printed form should be signed by applicant and be submitted in physical mode along with requisite documents in original to the Designated Depository Participant (DDP). Applicant should sign on each page of the Form before sending.

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.